

13/7/11

फर्ट अहकाम

(1)

(नियम 15)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली)

गजानंद पट्टे बनाम दुर्गा देवी

40

सं. मुकदमा 40/2008, टोडाभीम, एंजाई विधानक्षेत्र सन 200


ख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22-6-11


वाकिग की कोर से श्रीमद् मोहनशर्मा एडवोकेट ने वाकिग टोडा कलेक्टर इस्टा एफ. तमासा, व एंजाई विधानक्षेत्र प्रस्तुत कर टोडा विधि विधान के अन्तर्गत किया है कि रजिस्ट्रार के प्रतिकापी जज को तत्काल विभाजित सम्पत्ति जारी हो। प्रवापकी दि 13/7/11 को पेश हो।

2023-28
22-6-11



उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

B7

वाकिग वकील उपस्थित। कार्यवाही नं. 1 से 5 की कोर से वाकिग टोडा कलेक्टर पेश। कार्यवाही नं. 6 की कोर से वाकिग टोडा कलेक्टर को कार्यवाही प्राप्त नहीं। वाकिग टोडा कलेक्टर कार्यवाही नं. 5 व 6 से वाकिग टोडा कलेक्टर पेश। दि 27/7/11 को पेश हो।



न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम
२.५.१६	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं। वकील प्रतिवादी उपस्थित। कर्षण आवाज दिलाई गई। नफा भी वादी वकील एवं वादी गण में से कोई उपस्थित नहीं। ई. आर. ठाकुर हाजिरी एवं ठाकुर बेरवी में दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल सुभार हीमा जम्वा से कमठोबा दाखिल रफ्तार है।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) </p>